HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9428/2026
CNR: RJHC020569452026 | URN: CRLMB / 17448U / 2026

1. Rukmuddin S/o Samsuddin, Aged About 50 Years, R/o Pandit Colony, 200 Feet Road, Police Station N.e.b., District Alwar (Raj.)
2. Sameem S/o Rukmuddin, Aged About 24 Years, R/o Pandit Colony, 200 Feet Road, Police Station N.e.b., District Alwar (Raj.)
3. Nemichand S/o Sh. Sardar Singh, Aged About 60 Years, R/o Bohra Colony, Tulera Road, Ps N.e.b., District Alwar (Raj.)

----Accused-Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aslam S. Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Vivek Choudhary, PP Mr. Vinay Pal Yadav Mr. Kabul Singh, S.I., P.S. N.E.B., Dist. Alwar.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

31/07/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना एन.ई.बी. जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि परिवादिया श्रीमती विद्या देवी ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वर्तमान में वादग्रस्त भूखंड पर परिवादिया का ही कब्जा है, जिसके संबंध में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। परिवादिया का कब्जा वादग्रस्त भूमी पर होना बताया गया है और परिवादिया के पक्ष में लिखित विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2023 को होना बताया गया है। पुलिस को अनुसंधान हेतु प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

श्री कबूल सिंह, एस.आई., एन.ई.बी. जिला अलवर आज न्यायालय में उपस्थित हुए।

परिवादिया के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक व श्री कबूल सिंह, अन्वेषण अधिकारी का कथन है कि प्रकरण में परिवादी पक्ष का कब्जा वादग्रस्त भूखंड पर नहीं है, वरन् वादग्रस्त भूखंड पर अभियुक्तगण पक्ष ने तृतीय पक्ष को विक्रय कर उसका कब्जा दिला दिया और न्यायालय के समक्ष समीम द्वारा झूठा व कूटरचित शपथपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया गया है। वादग्रस्त भूखंड समीम का ही था, जिसे परिवादिया श्रीमती विद्या देवी द्वारा क्रय किया गया। तत्पश्चात पुनः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उक्त भूखंड खरीदने की इच्छा दिखाकर 18 लाख रुपए में क्रय करना तय किया और 18 लाख रुपए का चैक दिया जो अनादरित हो गया और विक्रय पत्र परिवादिया से असल बयनामा दिनांक 06.02.2023 प्राप्त कर और उस पर रजिस्ट्री शून्य बाबत नोट डलवाया गया और असल बयनामा अपने पास रख लिया और वादग्रस्त भूखंड अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पक्ष ने परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की और आपराधिक कृत्य किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 201/2026 पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर में दर्ज कराई

गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से असल रजिस्ट्री ली जानी है, उनसे अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने छल किया है, प्रार्थी/अभियुक्त रूकमुद्दीन के विरुद्ध पूर्व में एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी पक्ष के विरुद्ध छल करने के आशय से उससे क्रय किए गए भूखंड का असल विक्रय पत्र प्राप्त करने और उस विक्रय पत्र का निरस्तीकरण बाबत नोट अंकित कर, भूखंड के बेचान की प्रतिफल राशि स्वरूप दिये गये 18 लाख रुपए अनादरित हो जाने तथा परिवादी पक्ष के साथ छल किए जाने और आपराधिक न्यास भंग करने के बाबत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप हैं। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त समीम द्वारा भूखंड का विक्रय पत्र पूर्व में परिवादिया श्रीमती विद्या देवी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया था। उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए 18 लाख रुपए का चैक परिवादी पक्ष को दिया गया और असल विक्रय पत्र भी परिवादिया से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने प्राप्त कर लिया और उस पर कैंसिल लिख दिया। थानाधिकारी पुलिस थाना एन.ई.बी, अन्वेषण अधिकारी, जिला अलवर ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया है कि बिना किसी अधिकार के प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखंड अन्य तृतीय पक्ष को विक्रय कर, उसका कब्जा करा दिया। वर्तमान में परिवादी पक्ष का कब्जा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त रूकमुदीन के पुत्र समीम द्वारा दिनांक 24.01.2026 को जो शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, वह झूठा और बनावटी है। जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है। इस प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तण के विरुद्ध परिवादी पक्ष की ओर से मारपीट किए जाने और अन्य आपराधिक कृत्य किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या 201/2026 पुलिस थाना एन.ई.बी. जिला अलवर में दर्ज कराई गई, जिसमें भी अनुसंधान किया जाना है। प्रार्थी/अभियुक्त रूकमुद्दीन के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना किशनगढ़बास जिला खैरथल में होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से असल रजिस्ट्री बरामद किया जाना शेष होना बताया गया है, तथा उनकी अनुसंधान हेतु पुलिस को आवश्यकता है।

अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रूकमुद्दीन पुत्र श्री समसुदीन, 2, समीम पुत्र रूकमुद्दीन, 3. नेमीचंद पुत्र श्री सरदारसिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

14/KISHAN SONI